न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 70/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक : 03.03.2025
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

तोलाराम आत्मज सीताराम जाति मीणा निवासी माल बमोरी तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/2022 बउनवान तोलाराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 246/22 धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बलवनखेड़ी की आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 0.32 है0 भूमि किस्म बंजड़ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2078 में फसल गेहूं की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.03.2022 से 288/– रू0 शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 16.09.2022 से अपील खारिज की गई।

2. उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय के द्वारा आस–पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को बिना पश्चात्वर्ती का नोटिस दिये, सुनवाई एवं जवाब देने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि कब्जा नहीं है तथा अपीलार्थी ने सम्वत् 2078 से ही कब्जा छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी ने जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय को सिविल कारावास की सजा को निरस्त फरमाया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को बिना पश्चात्वर्ती का नोटिस दिये, सुनवाई एवं जवाब देने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय के द्वारा आस–पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि कब्जा नहीं है तथा कब्जा सम्वत् 2078 में ही छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी ने जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पटवारी हल्का के द्वारा अपीलार्थी के ग्राम बलवनखेड़ी की आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 0.32 है0 भूमि किस्म बंजड़ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2078 में फसल गेहूं की काश्त करने पर उक्त आशय की रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल को पेश की गई। तहसीलदार मांगरोल के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्ष/सुनवाई हेतु दिनांक 18.02.2022 को नोटिस जारी कर दिनांक 10.03.2022 को तलब किया गया। उक्त जारी किया गया नोटिस स्वयं अपीलार्थी को तामील होने प्रकट होता है। इसके उपरांत पुनः दिनांक 10.03.2022 एवं दिनांक 22.03.2022 को नोटिस उपस्थित होने बाबत् जारी किये गये। किंतु बावजूद सूचना के अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने पर तदनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 30.03.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रकट होता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में भी प्रकरण संख्या 13/19 में दिनांक 31.10.2019 से ग्राम बलवन्त खेड़ी की आराजी खसरा सं0 4 रकबा 0.32 है0 पर अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन काश्त करने पर 512/– रूपये शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित आराजी से बेदखल किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर फसल काश्त करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में होने से तदनुसार निर्णय दिनांक 30.03.2022 से 288/– रूपये शास्ति एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं होते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया गया हो। अपीलार्थी बार–बार राजकीय भूमि पर कब्जे करने का आदि होना प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 16.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

09.2022 से अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी की पुष्टि होने के उपरांत अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा